न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी—विकास पंचोली (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :—19 / 2020 (2020 / 00167) दर्ज दिनांक 06.07.2020
प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 136,131 एल0आर0एक्ट0

अनवान

1. चम्पा आत्मज जीतमल जाट
2. नानु आत्मज जीतमल जाट
3. रामलाल आत्मज जवाहरमल जाट
4. सांवरलाल आत्मज जवाहरमल जाट
   सर्व निवासी पिछोरियाखेड़ा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
5. नारायण आत्मज उदयराम जाट बलवन्तपुरा जीजवाडया तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़।

——प्रार्थीगण

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर

——विपक्षी

अधिवक्ता प्रार्थीगण : श्री रितेश सुराणा
विपक्षी : पेरोकार सरकार

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136, 131 एल0आर0 एक्ट ::

निर्णय दिनांकः—29.01.2021

:: निर्णयः:

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट के तहत विपक्षी के विरूद्ध प्रस्तुत कर ग्राम पिछोरियाखेड़ा पटवार हल्का भरक तहसील सहाड़ा के बेरून हल्का आबादी मे साबिक आराजी संख्या 111 रकबा 5 बीघा आठ बिस्वा भूमि प्रार्थीगण संख्या एक व दो तथा उनके पूर्वजों के नाम खातेदारी अधिकार से दर्ज रेकार्ड थी।

इसी प्रकार ग्राम पिछोरियाखेड़ा की साबिक आराजी संख्या 109 रकबा 8 बीघा 13 बिस्वा प्रार्थी संख्या पांच के नाना तलोक आत्मज प्रताप जा[illegible] खातेदारी हक अधिकार से दर्ज रेकार्ड थी। प्रमाण में नकल जमाबंदी[illegible] है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.29 15:58:46 IST
Reason: SelfAttested

[illegible]क—कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner

यह कि उक्त दोनों साबिक आराजियात आपस में मिली हुई होकर सटमा है। आराजी संख्या 111 की दक्षिणी पाली तथा आराजी संख्या 109 की उत्तरी पाली पर डॉट– डॉट के निशानात थे, जंहा पूर्व में कोई खुला एवं चौड़ा रास्ता विद्यमान नहीं रहा है।

यह कि भुप्रबंध कार्यवाही के दौरान ग्राम पिछोरियाखेड़ा का भी नवीन भू प्रबंध हुआ है, जिसके साबिक आराजी संख्या 111 रकबा 5 बीघा आठ बिस्वा के नवीन नम्बर 165 रकबा 0.30 हे0, 166 रकबा 0.30 हे0, 167 रकबा 0.30 हे0, 169 रकबा 0.07 हे0, 170 रकबा 0.10 हे0, 171 रकबा 0.10 हे0 कुल किता 06 कुल रकबा 1.17 हे0 तथा साबिक आराजी संख्या 109 रकबा 8 बीघा 13 बिस्वा के नवीन नम्बर 113 रकबा 1.87 हे0 कायम किये गये। प्रमाण में मिलान क्षैत्रफल की प्रति साथ प्रस्तुत है।

यह कि भुप्रबंध की कार्यवाही के दौरान भुप्रबंध अधिकारियों ने बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के अपने कार्यवाही में गौर लापरवाही बरतते हुए साबिक रेकार्ड से नवीन रेकार्ड कायम करने के दौरान साबिक क्षेत्रफल के नवीन क्षेत्रफल को बराबर कायम कर दिया लेकिन राजस्व नक्शे में गड़बड़ी करते हुए साबिक नक्शे के अनुरूप नवीन नक्शा तरमीम कर कायम नहीं किया और जो नया रकबा साबिक रकबे के अनुसार बनाया उस रकबे के अनुसार दोनों आराजियात के नवीन नक्शे में रकबा कम करते हुए दोनों आराजियात के मध्य जो की पूर्व में सटमा थी रास्ता अंकित कर दिया जिसके कोई नम्बर भी कायम नहीं किये और प्रार्थीगण के खाते में दर्ज रकबे अनुसार नवीन नक्शा कायम नहीं कर नक्शे में रकबे को कम कर दिया। जिससे साबिक नक्शे के अनुसार वर्तमान नक्शे को दुरूस्त किया जाना आवष्यक एवं न्यायोचित है।

अतः सादर प्रार्थना हैं कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर भुप्रबंध की कार्यवाही के दौरान भुप्रबंध अधिकारियों द्वारा वाद वर्णित आराजियात के राजस्व नक्शे में की गई गड़बड़ी को दुरूस्त किया जाकर दोनों आराजियात के मध्य बनाये गये चौड़े रास्ते को हटवाया जाकर राजस्व जमाबंदियों मे दर्ज रकबे अनुसार हाल आराजी संख्या 113, 165, 166, 167, 169, 170, 171 के नक्शे को दुरूस्त कराते हुए साबिक नक्शे अनुसार वर्तमान नक्शे में तरमिम कराये जाने का आदेश प्रदान कराया जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षी को विधिवत सूचना पत्र जारी किया गया जो सूचना होने के बावजूद विपक्षी [illegible] प्रार्थीगण अधिवक्ता उपस्थित। पैरोकार सरकार द्वारा जवाब पेश नहीं करने से जवाब [illegible] की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.29 15:58:46 IST
Reason: SelfAttested

2.

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner

तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर से उक्त प्रार्थना पर पर मौका रिपोर्ट तलब की गई जो इस प्रकार है:–

मौके रिपोर्ट अनुसार ग्राम पिछोरियाखेड़ा का भी नवीन भू प्रबंध हुआ है, जिसके हाल आराजी नम्बर 165 रकबा 0.30 हे0, 166 रकबा 0.30 हे0, 167 रकबा 0.30 हे0, 169 रकबा 0.07 हे0, 170 रकबा 0.10 हे0, 171 रकबा 0.10 हे0 कुल किता 06 कुल रकबा 1.17 हे0 चम्पालाल नानु पिता जीतमल 2/3 रामलाल सांवरमल पिता जवाहरमल 1/3 जाट सा0देह के नाम दर्ज रेकार्ड होकर उपरोक्त आराजी साबिक 111 रकबा 5 बीघा 8 बिस्वा से बने है। जो गत व वर्तमान क्षेत्रफल रिकोर्ड अनुसार बराबर है।

साबिक आराजी नं0 111 रकबा 5 बीघा 8 बिस्वा में किस्म कु I 4 बीघा 8 बिस्वा कु II 1/2 बीघा रास्ता 9 बिस्व पाली 6 बिस्वा पत्रावली में संलग्न जमाबंदी नकल में दर्ज रेकार्ड होकर साबिक आराजी नं0 111 में डोटेड–डोटेड रास्ता दर्शा रखा है। इसी प्रकार हाल आराजी नं0 113 रकबा 1.87 हे0 खातेदार नारायण पिता उदयराम जाट के नाम दर्ज रेकार्ड होकर उपरोक्त आराजी साबिक आराजी नं0 109 रकबा 8 बीघा 13 बिस्वा से बने है जो गत व वर्तमान रेकार्ड अनुसार क्षेत्रफल में बराबर है। साबिक आराजी नं0 109 रकबा 8 बीघा 13 बिस्वा किस्म कु I 7 बीघा कु II 19 बिस्वा रास्ता 3 बिस्वा पाली 11 बिस्वा पत्रावतल में संलग्न जमाबंदी में दर्ज रेकार्ड होकर आराजी नं0 109 के नक्शे में डोटेड–डोटेड रास्ता दर्शा रखा है। साबिक आराजी नं0 111 व 109 के मध्य अन्य कोई आराजी न होकर दोनों आपस में सटी हुई साबिक नक्शे में होकर दोनों नक्शों में डोटेड–डोटेड रास्ता दर्शा रखा है। बाद भुप्रबंध हाल आराजी नं0 165, 166, 167 तथा 113 के मध्य पुख्ता रास्ता बनाया जाकर आराजी नं0 100 रकबा 1.16 गेमु रास्ता बिलानाम में सामील कर दिया गया है। वर्तमान में मौके पर आराजी नं0 165, 166, 167 एवं आराजी नं0 113 के मध्य में ग्राम लाखोला तालाब की नहर कच्ची व रास्ता निकाले हुए है, दानों करीबन 8 से 10 फीट चौड़ा है। इस प्रकार खसरा संख्या 113 कुल रकबा 1.87 हे0 में से 0.06 तथा आराजी नं0 165 कुल रकबा 0.30 हे0 में से 0.02, 166 कुल रकबा 0.30 हे0 में से 0.02 तथा 167 कुल रकबा 0.30 हे0 में से 0.02 हे0 कुल रकबा 0.12 हे0 बनता है जो इनके संयुक्त खातेदारी में जारी किया जाना उचित है। तथा गत नक्शे के मुकाबले वर्तमान नक्शे में अंतर है जमाबंदी रिकार्ड में रकबे में कोई अंतर नहीं है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.29 15:58:46 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

प्रार्थीगण अधिवक्ता एवं पेरोकार सरकार को मजमे आम सुना गया। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने पर निवेदन किया । बाद बहस मैने प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर गहन मनन किया। चूंकि तहसीलदार सहाड़ा की मौके रिपोर्ट अनुसार भुप्रंबध हाल आराजी नं0 165, 166, 167 तथा 113 के मध्य पुख्ता रास्ता बनाया जाकर आराजी नं0 100 रकबा 1.16 गेमु रास्ता बिलानाम में सामील कर दिया गया है। वर्तमान में मौके पर आराजी नं0 165, 166, 167 एवं आराजी नं0 113 के मध्य में ग्राम लाखोला तालाब की नहर कच्ची व रास्ता निकाले हुए है, दानों करीबन 8 से 10 फीट चौड़ा है। इस प्रकार खसरा संख्या 113 कुल रकबा 1.87 हे0 में से 0.06 तथा आराजी नं0 165 कुल रकबा 0.30 हे0 में से 0.02, 166 कुल रकबा 0.30 हे0 में से 0.02 तथा 167 कुल रकबा 0.30 हे0 में से 0.02 हे0 कुल रकबा 0.12 हे0 को खातेदारी में से कम करते हुए उक्त रकबा 0.12 हे0 को संयुक्त खातेदारी में रास्ते हेतु दर्ज किया जाना उचित होने से प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136, 131 एल0आर0एक्ट का स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतएवं

:: आदेश::

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 136, 131 आर.टी.एक्ट का स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार सहाड़ा को ग्राम पिछोरियाखेड़ा पटवार हल्का भरक की हाल आराजी नं0 113 कुल रकबा 1.87 हे0 में से 0.06 तथा आराजी नं0 165 कुल रकबा 0.30 हे0 में से 0. 02, 166 कुल रकबा 0.30 हे0 में से 0.02 तथा 167 कुल रकबा 0.30 हे0 में से 0.02 हे0 कुल रकबा 0.12 हे0 को खातेदारी में से कम करते हुए उक्त रकबा 0.12 हे0 को संयुक्त खातेदारी में रास्ते हेतु दर्ज करने व उसी अनुरूप नक्शे को दुरूस्त करने का आदेश दिया जाता है।

पत्रावली बाद दाखला रजिस्टर के फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(विकास पंचोली)
सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर 4.
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.29 15:58:46 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner